

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय फर्झखाबाद

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में रखे हुए संलग्न सूची के अनुसार लोहे तथा लकड़ी के निष्प्रयोज्य सामग्री, जहाँ और जैसी स्थिति में है, के आधार पर सार्वजनिक रूप से नीलामी दिनांक 27.09.2023 को सांय 04.30 बजे जनपद न्यायालय फर्झखाबाद के प्रांगण में केन्द्रीय नजारत के सामने चबूतरे पर की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी की कार्यवाही में निम्न शर्तों के अनुसार बोली बोल सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रुपया 10,000/- (रु० दस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न प्राप्त किया हो। अधिकृत प्रतिनिधि ही उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाली निष्प्रयोज्य सामग्री जैसा की सूची में वर्णित है, का नीलामी की तिथि से दो दिन पूर्व अपराह्न 01.00 बजे से 03.00 बजे तक जनपद न्यायालय फर्झखाबाद के परिसर में देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्री जैसा की सूची में वर्णित है, का विधिवत निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त कर ली जायेगी।
7. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व निष्प्रयोज्य सामग्री को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. निष्प्रयोज्य सामग्री की अन्तिम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक, जो भी बाद में हो, होने तक निष्प्रयोज्य सामग्री हस्तगत नहीं की जायेगी।
9. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।
10. निष्प्रयोज्य सामग्री 'जहाँ है जैसा है' कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत की जायेगी।
11. नीलाम की गयी निष्प्रयोज्य सामग्री को उच्चतम बोली बोलने वाले को पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर ही निष्प्रयोज्य सामग्री की सुपुर्दगी दी जायेगी।
12. बोली दाता को नियमानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री पर लागू GST को अविलम्ब जमा करना होगा।
13. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को निष्प्रयोज्य सामग्री का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त सं 0 11 व 12 के पूर्ण होने के पश्चात, तत्काल निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
14. निष्प्रयोज्य सामग्री को न्यायालय परिसर से ले जाने में कोई क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नीलाम खरीददार का होगा।

15. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

16. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद फर्रुखाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

दिनांक: 05.09.2023

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14092/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated July 31, 2017 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

Seen. Office to Comply
X

7/0
05/09/2023

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

फर्रुखाबाद।

जनपद न्यायालय परिसर फर्लखाबाद में विभिन्न स्थानों पर रखे पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचर व अन्य सामानों की नीलामी हेतु सूची-

1. लोहे के फ्रेम की टूटी हुयी कर्सियों की संख्या लगभग - 138
2. लकड़ी की टूटी हुई कर्सियों की संख्या लगभग - 94
3. टूटी हई मेजों के फ्रेमों की संख्या - 2
4. टूटी हुई आराम कुर्सी की संख्या - 1
5. टूटे हुये कूलर स्टैण्ड - 14
6. खराब कूलरों की संख्या - 10
7. टूटी हुई डाइस कुर्सियाँ - 12
8. निकले हुये लोहे के फ्रेम के दरवाजों की संख्या - 8
9. निकले हुये लोहे के बड़े गेट के पल्ले - 2
10. टूटी हुई बेन्च - 2
11. टूटी हुई साइकिलों की संख्या - 8
12. टूटी हुई लोहे की बिना दरवाजे की अलमारी - 2
13. लोहे के पाइप (1.5 इंच) - 3
14. डाइस पटला - 4
15. टूटे डाइस मेज स्टैण्ड - 4
16. अलमारी के टूटे पल्ले - 2
17. टूटे लकड़ी के दरवाजे - 3 पल्ले
18. टूटे लकड़ी के सिंगल दरवाजे - 28
19. टूटी खिड़की लोहे की सरिया वाली - 5
20. सिंगल चौखट पाटी - 20
21. लोहे की सरिया - 16
22. लोहे के एंगल - 5
23. छोटे क्षतिग्रस्त सोफे - 10
24. बड़े क्षतिग्रस्त सोफे - 7
25. टूटी ग्रास कटर मशीन - 1
26. छपाई वाले ठप्पो के बाक्स - 2
27. पुराने टायर (फोर व्हीलर) - 11
28. पुरानी टूटी हुई बुकसेल्फ - 1
29. बिना दरवाजे की छोटी लोहे की अलमारी - 2
30. लोहे के ट्रीगार्ड - 10
31. टूटा हुआ ट्रीगार्ड - 1
32. लोहे की टूटी हुई केन - 1
33. लकड़ी की कुर्सियों, मेजों आदि के टूटे हुये हत्थे, पाये एवं अन्य भाग

5/9/23
(महेन्द्र सिंह-IV)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एकट),
फर्लखाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में रखे हुए संलग्न सूची के अनुसार लोहे तथा लकड़ी के निष्प्रयोज्य सामग्री, जहाँ और जैसी स्थिति में है, के आधार पर सार्वजनिक रूप से नीलामी दिनांक 27.09.2023 को सांय 04.30 बजे जनपद न्यायालय फर्झखाबाद के प्रांगण में केन्द्रीय नजारत के सामने चबूतरे पर की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी की कार्यवाही में निम्न शर्तों के अनुसार बोली बोल सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रुपया 10,000/- (रु० दस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न प्राप्त किया हो। अधिकृत प्रतिनिधि ही उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाली निष्प्रयोज्य सामग्री जैसा की सूची में वर्णित है, का नीलामी की तिथि से दो दिन पूर्व अपराह्न 01.00 बजे से 03.00 बजे तक जनपद न्यायालय फर्झखाबाद के परिसर में देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्री जैसा की सूची में वर्णित है, का विधिवत निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त कर ली जायेगी।
7. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व निष्प्रयोज्य सामग्री को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. निष्प्रयोज्य सामग्री की अन्तिम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक, जो भी बाद में हो, होने तक निष्प्रयोज्य सामग्री हस्तगत नहीं की जायेगी।
9. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।
10. निष्प्रयोज्य सामग्री 'जहाँ है जैसा है' कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत की जायेगी।
11. नीलाम की गयी निष्प्रयोज्य सामग्री को उच्चतम बोली बोलने वाले को पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर ही निष्प्रयोज्य सामग्री की सुपुर्दगी दी जायेगी।
12. बोली दाता को नियमानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री पर लागू GST को अविलम्ब जमा करना होगा।
13. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को निष्प्रयोज्य सामग्री का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त सं0 11 व 12 के पूर्ण होने के पश्चात्, तत्काल निष्प्रयोज्य सामग्री को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
14. निष्प्रयोज्य सामग्री को न्यायालय परिसर से ले जाने में कोई क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नीलाम खरीददार का होगा।

15. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

16. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद फर्रुखाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

दिनांक: 05.09.2023

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्टर नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14092/Admin. (B-V) Section:
Allahabad Dated July 31, 2017 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

Seen official to reply.

N10
०८/०९/२३

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

फर्रुखाबाद।

जनपद न्यायालय परिसर फर्झखाबाद में विभिन्न स्थानों पर रखे पुराने निष्प्रयोज्य फर्नीचर व अन्य सामानों की नीलामी हेतु सूची-

1. लोहे के फ्रेम की टूटी हुयी कर्सियों की संख्या लगभग - 67
2. लकड़ी की टूटी हुई कर्सियों की संख्या लगभग - 187
3. लोहे का छोटा बक्सा - 2
4. गवर्नर चेयर टूटी हुई - 18
5. दरवाजे मय लोहे के चौखट - 12
6. दरवाजे लकड़ी के - 5
7. मेन गेट लोहे के दरवाजे - 2 (चार पल्ले)
8. प्लास्टिक कुर्सी - 11
9. कूलर लोहे के - 18
10. कूलर स्टैण्ड - 18
11. पानी की प्लास्टिक टंकी - 03
12. वाटर कूलर - 3
13. टायर बुलेरो - 4
14. लोहे की टूटी हुई छोटी अलमारी - 5
15. टूटी हुई बड़ी रैक - 1
16. ग्लास वाली रैक बड़ी - 1
17. ग्लास वाली रैक छोटी - 1
18. लकड़ी की बेन्च टूटी हुई - 7
19. लोहे की टेबल रैक वाली - 16
20. रोड लाइट (मरकरी) - 8
21. लोहे की छोटी व बड़ी सरिया - 22
22. कूड़दान फ्रेम - 8
23. लकड़ी की टूटी हुई टेबल - 18
24. ट्री गार्ड साबूत - 5
25. ट्री गार्ड के आधे पल्ले - 14
26. हैण्ड पाइप का हत्था - 1
27. खराब कैम्पर - 17
28. ग्लास वाले लोहे के फ्रेम - 2
29. ट्यूबलाइट की फन्टी - 11
30. लोहे के फ्रेम - 2
31. कोका कोला की लोहे की पेटी - 1
32. लकड़ी का तख्त - 1
33. एक खराब टी.वी. - 1
34. पेप्सी की बोतल की प्लास्टिक क्रेट - 5
35. लोहे की खिड़की के पल्ले - 4
36. लकड़ी की रैक टूटी हुई - 3
37. आराम कुर्सी टूटी हुई - 4
38. टाइपराइटर - 86
39. साईकिल स्टेण्ड फ्रेम (12 फिट) - 1 नग

5/9/23
(महेन्द्र सिंह-IV)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
फर्झखाबाद।